प्रेस नोट 17/04/2024

अर्न्तराज्यीय साइबर अपराध व आनलाइन बेटिंग गिरोह का भंडाफोड़, 06 शातिर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 16 मोबाईलफोन, 04 लैपटॉप, 30 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, 48 सिम किट, 03 पासबुक व 02 मोटरसाईकिल बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 17.04.2024 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर चांदमारी इमिलिया में रोड के किनारे बैठकर कूटरचित तरीके से पैसे का लेन–देन की बात कर रहे व लैपटापों की अदला–बदली कर रहे 06 शातिरों क्रमशः दुर्गेश गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी सेमरी जमालपुर थाना घोसी मऊ, दीपक कुमार वर्मा पुत्र चन्देश्वर प्रसाद निवासी तेजपुरवा सरन बिहार, पी रोहन कुमार पुत्र पी प्रभु कुमार, हिमांशू साहू पुत्र दानेश्वर निवासीगण जामुल दुर्ग छत्तिसगढ़, रोशन कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी चकजोहरा, धनरूवा पटना बिहार व विजय मुण्डा पुत्र स्व0 कृष्ण मुण्डा निवासी बरकाकाना रामगढ़ झारखण्ड को पकड़कर उनके कब्जे से 16 मोबाईलफोन, 04 लैपटॉप, 30 एटीएम कार्ड, 15 चेकबुक, 48 सिम किट, 03 पासबुक व 02 मोटरसाईकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान करने पर उक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों द्वारा मोबाइल व लैपटॉप के माध्यम से दूसरा व्यक्ति बनकर लोगों से छलपूर्वक पैसा बैंक के माध्यम से ले लेते हैं तथा मूल्यवान प्रतिभूति (चेकबुक, पासबुक भिन्न–भिन्न नामों का) छल करने के लिये व उसे कूटरचित करके उसे असली के रुप मे प्रयोग करते हैं और लोगों के खाते से विश्वास दिलाकर कूटरचित व फरेब छल द्वारा उसे असली के रुप में प्रयोग करके लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे को बैंक के माध्यम से निकाल लेते हैं एवं आनलाइन बेटिंग के माध्यम से आईपीएल आदि में लोगों का पैसा लगवाते हैं। इन्ही पैसों से हम लोग अपना तथा अपने परिवार कर भरण–पोषण करते हैं। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध मु0अ0सं0 125/2024 धारा 419,420, 467,468,471 भादवि व 66डी आई0टी0 एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. दुर्गेश गिरी पुत्र राजेश गिरी निवासी सेमरी जमालपुर थाना घोसी मऊ।
2. दीपक कुमार वर्मा पुत्र चन्देश्वर प्रसाद निवासी तेजपुरवा सरन बिहार।
3. पी रोहन कुमार पुत्र पी प्रभु कुमार।
4. हिमांशू साहू पुत्र दानेश्वर निवासीगण जामुल दुर्ग छत्तिसगढ़।
5. रोशन कुमार पुत्र अनिल कुमार निवासी चकजोहरा, धनरूवा पटना बिहार।
6. विजय मुण्डा पुत्र स्व0 कृष्ण मुण्डा निवासी बरकाकाना रामगढ़ झारखण्ड।

बरामदगी–

1. 16 मोबाईलफोन।
2. 04 लैपटॉप।
3. 30 एटीएम कार्ड।
4. 15 चेकबुक व 03 पासबुक। (विभिन्न बैंको के)
5. 48 सिम किट। (विभिन्न कंपनियों के)
6. 02 मोटरसाईकिल। (यूपी52एक्यू9444 बुलेट व यूपी54एआर3507 स्प्लेंडर)

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना सरायलखंसी, उ0नि0 प्रभात चन्द्र पाठक उ0नि0यू0टी0 मनमोहन सिंह, हे0का0 सुनील यादव, हे0का0 लव कुमार (चालक) हे0का0 सुरजीत कुमार व का0 पंकज कुमार थाना सरायलखंसी।